

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/राँची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (राँची), जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची।

राँची, दिनांक 24-1-14

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना	47.805

कुल आवंटित राशि -

रुपये सैंतालीस लाख अस्सी हजार पाँच सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध ₹ 5927.61 लाख एवं द्वितीय अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 29/बी० टी० ई०- 08/2013-14/419/बजट दिनांक 21.12.13) से प्राप्त राशि ₹ 2.80 लाख सहित कुल ₹ 5930.41 (उनसठ करोड़ तीस लाख एकतालीस हजार) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से किया जायेगा।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौधरिया)
उप सचिव (अभि.)


(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

187

राँची, दिनांक :-

24-1-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/बोकारो/देवघर/जमशेदपुर/चाईबासा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

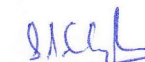
187

राँची, दिनांक :-

24-1-14

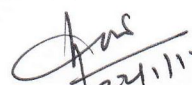
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौधरी)
उप सचिव (अभि.)


(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-खोदनागापुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक: 187 दिनांक: 24-1-14 का अनुदानक

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2013-2014	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़िया अन्य व्यय		विरुद्ध शीर्ष-07-मोटरगाड़िया अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
				वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतन	49N27010300 49N27010300 1060101 01060112	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दरे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़िया इंधन एवं	किछि प्रकार	कुल योग	अभिव्यक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.100	0.529	0.800	0.000	0.000	0.500	0.000	0.200	1.500	0.100	44.439				
2	आयोजन एवं मोनिटिंग प्रमंडल, मेदिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.100	0.200	0.800	0.000	0.000	0.500	0.000	0.200	1.500	0.100	44.110				
3	कोनार नहर प्रमंडल, बगीचर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.120	0.300	0.400	0.000	0.000	0.100	0.525	0.000	0.000	0.000	0.220				
4	कोनार नहर प्रमंडल, बगीचर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.100	0.200	0.400	0.000	0.250	0.050	0.900	0.100	0.300	0.100	174.800				
5	पूण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.162	0.500	0.400	0.000	0.500	0.100	0.450	0.100	0.300	0.100	175.150				
6	जलपथ प्रमंडल, चार्डीबासा	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.162	0.500	0.400	0.000	0.500	0.100	0.450	0.100	0.300	0.100	146.700				
7	जलपथ प्रमंडल, बरही	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.162	0.500	0.400	0.000	0.500	0.100	0.450	0.100	0.300	0.100	146.862				
8	जलपथ प्रमंडल, सैवी	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.162	0.500	0.400	0.000	0.500	0.100	0.450	0.100	0.300	0.100	121.685				
9	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.162	0.500	0.400	0.000	0.500	0.100	0.450	0.100	0.300	0.100	219.137				
															219.537				
															274.261				
															275.408				
															469.924				
															0.150				
															470.074				
															293.838				
															0.350				
															294.188				

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(सुरेश साधन चौधरी)
उप सचिव (आरि०)

(सुरेश कुमार सिन्हा)
सहायक सचिव (आरि०)

(अनिनाथ कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2013-2014			विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय			विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	49N270103001	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	49N27010300	कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	लेखा कार्यालय, जालन्धर	पूर्व का आवंटन	10.400	0.000	0.000	0.100	0.300	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	10.825									
10	जालन्धर	अतिरिक्त आवंटन	1.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.600									
		अद्यतन आवंटन	12.000	0.000	0.000	0.100	0.300	0.000	0.000	0.000	0.025	0.000	0.000	0.000	12.425									
11	लेखा कार्यालय, देवर	पूर्व का आवंटन	31.360	0.000	0.050	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	31.860									
		अतिरिक्त आवंटन	5.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.200									
		अद्यतन आवंटन	36.560	0.000	0.050	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	37.060									
12	लेखा कार्यालय, राँची	पूर्व का आवंटन	43.700	0.000	0.030	0.200	0.300	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	44.280									
		अतिरिक्त आवंटन	10.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.500									
		अद्यतन आवंटन	54.200	0.000	0.030	0.200	0.300	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	54.780									
13	वित्त पदार्थ, स्वर्णरेखा परिषद्, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	94.050	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.175	0.057	0.000	0.000	95.082									
		अतिरिक्त आवंटन	19.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	19.500									
		अद्यतन आवंटन	113.550	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.175	0.057	0.000	0.000	114.582									
14	विशेष भू-अर्जन पदार्थ, जलान्धर कोयल परिषद्, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	135.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.050	0.700	0.000	0.300	0.000	136.650									
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000									
		अद्यतन आवंटन	135.000	0.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.050	0.700	0.000	0.300	0.000	136.650									
15	सिंचाई प्रमंडल, बुझ	पूर्व का आवंटन	262.780	0.000	0.000	2.171	0.400	0.000	0.000	0.050	0.850	0.100	0.000	0.100	266.451									
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.017	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.017									
		अद्यतन आवंटन	262.780	0.017	0.000	2.171	0.400	0.000	0.000	0.050	0.850	0.100	0.000	0.100	266.468									
16	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, (लाहौर) शिविर मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	103.500	0.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.200	0.050	0.400	0.000	0.800	0.050	105.700									
		अतिरिक्त आवंटन	5.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	5.350									
		अद्यतन आवंटन	108.500	0.000	0.000	0.300	0.500	0.000	0.200	0.050	0.650	0.000	0.800	0.050	111.050									
	अतिरिक्त आवंटन का योग	41.800	2.722	0.120	0.268	0.200	0.000	0.950	0.170	0.375	0.400	0.400	0.400	0.400	47.805									

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-69/बजट दि० 11.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.10.2012 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से द्विपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये सैतालीस लाख अस्सी हजार पाँच सौ मात्र

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुरेश कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(अविनाश कुमार)
सचिव

187
24-1-14